न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक,

न्यायालय संख्या–१, फतेहपुर ।

उपस्थित– **मनराज सिंह** ....एच०जे०एस०

विशेष सत्र परीक्षण सं० –**२५ए सन् २००८**

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक ।

बनाम

१. राम कृपाल उर्फ कल्लू पुत्र राम विशाल दुबे निवासी मटिहा, थाना असोथर, जिला फतेहपुर ।

२. बब्बू केवट पुत्र शम्भा केवट निवासी गम्भुवा का डेरा मजरे सरकण्डी थाना असोथर, जिला फतेहपुर ।

.....अभियुक्तगण ।

अपराध सं०–१४३/२००७

धारा– २/३ उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम १९८६

थाना–असोथर,जनपद–फतेहपुर ।

–निर्णय–

१. अभियुक्तगण राम कृपाल उर्फ कल्लू व बब्बू केवट विरुद्ध थाना असोथर, जनपद फतेहपुर द्वारा धारा २/३ उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु प्रेषित किया गया है ।

२. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक २५.१०.२००७ को एस०ओ० बी०आर०कमल मय हमराह पुलिस कर्मचारीगण के दौरान देख–भाल क्षेत्र थे कि पता चला कि राजू तिवारी उर्फ बालकृष्ण, जरैला उर्फ मेवा लाल, बब्बू केवट व राम कृपाल उर्फ कल्लू का एक संगठित एवं सक्रिय गिरोह है जो परोक्ष एवं अपरोक्ष रुप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ की प्राप्ति हेतु अपराध जगत में सक्रिय है जिनका सरगना गैंग लीटर राजू तिवारी उर्फ बालकृष्ण उपरोक्त है जो अपने व अपने साथियों के परिवार लाभ हेतु कभी अकेले तो कभी संयुक्त

रुप से अवैध असलहों से लैस होकर भा०दं०वि० के अध्याय के अध्याय १६,१७ व २२ में वर्णित अपराधों को करके आज जनता का जीवन दुष्भार कर दिया है जो अक्सर लोगों की मारपीट एवं हत्या जैसे संगीन अपराध कारित करके आम जनता में भय व आतंक का वातारण छा दिया है जिनके भय व आतंक से कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध गवाही देने को तैयान नहीं होता है । इस गैंग का जीता जागता उदाहरण अभी हाल ही में दिनांक १०.९.२००७ को थाना स्थानीय के ग्राम मटिहा में ग्राम प्रधान के भाईयों पर अवैध असलहों से धुआंधार फायरिंग करके एक को मौत के घाट उतार दिया तथा दो को गम्भीर रुप से घायल कर दिया जिससे आम जनता की नींद हराम कर दी तथा गॉव में रहना मुश्किल कर दिया जिससे कि इस गैंग के सभी सदस्यों ने घटना को अंजाम दिया है । उपरोक्त सदस्यों के विरुद्ध अनेक मुकदमें गम्भीर अपराध के तहत थाना असोथर में पंजीकृत हैं । उपरोक्त सदस्यों के विरुद्ध उ०प्र० गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम १९८६ की धारा २/३ के अन्तर्गत अपराध बखूबी प्रमाणित हो रहा है ।

३. वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर छायाप्रति चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–१ अंकित की गयी । मामले के विवेचक द्वारा छायाप्रति गैंगचार्ट प्रदर्श क–२ का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त साक्षियों की साक्ष्य लिये जाने एवं सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण व अन्य सह अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र प्रदर्श क–४ न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

४. अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा आहूत किया गया और उपस्थित आने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा २/३ उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत आरोप बिरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मॉग की ।

५. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में गवाह पी०डब्लू०–१ एच.सी.३६ सी.पी. राकेश कुमार मिश्रा को परीक्षित कराया गया है।

६. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा ३१३ द०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना को सत्य व सही होने का अभिकथन किया है तथा उस पर दर्ज मुकदमा गैंगचार्ट को सही कहा है। अतः यह भी अभिकथन किया गया है कि वह स्वेच्छया से जुर्म स्वीकार करते हैं न्यूनतम दण्ड दिया जावे । सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया है।

७. मैनें बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सविस्तार सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया ।

८– अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन कथनानुसार घटना कारित की गयी है?

९– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–१एच.सी.३६ सी.पी. राकेश कुमार मिश्रा, ने अपनी मौखिक साक्ष्य से अभिसाक्ष्य किया है कि अपराध संख्या १४३/०७, धारा २/३ गैंगेस्टर अधिनियम, बनाम राम कृपाल व बब्बू केवट, थाना असोथर, मुकदमें के एफ०आई०आर० लेखक सी.एम. लाल सिंह को मैनें लिखते पढते देखा है उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है । पत्रावली में शामिल कागज संख्या ४अ/१ व ४अ/२ छायाप्रति चिक एफ०आई०आर० उनके लेख व हस्ताक्षर में है जिसपर प्रदर्श क–१ डाला गया । इस मुकदमें के वादी एस०ओ० बाबूराम कमल को भी मैनें लिखते पढते देखा है उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है । पत्रावली में शामिल कागज संख्या ६ए छायाप्रति गैंग चार्ट पर उनके द्वारा तैयार किया गया है जिनपर उनके हस्ताक्षर हैं जिसपर प्रदर्श क–२ डाला गया हैं । पत्रावली में शामिल कागज संख्या–४अ/३ छायाप्रति तहरीर वादी पर एस० ओ० बी०आर० कमल व सी०एम० लाल सिंह के हस्ताक्षर हैं

जिसपर प्रदर्श क–३डाला गया है । इस मुकदमें के विवेचक एस०ओ० रामनरेश यादव को भी मैनें लिखते पढते देखा है उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूँ । पत्रावली में शामिल कागज संख्या ३ए आरोप पत्र छायाप्रति उनके लेख व हस्ताक्षर में है जिसपर प्रदर्श क–४ डाला गया है । अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू०–१ एच.सी.३६ सी.पी. राकेश कुमार मिश्रा, ने प्रदर्श क–१ छायाप्रति चिक एफ०आई०आर०, छायाप्रति गैंग चार्ट प्रदर्श क–२, छायाप्रति तहरीर वादी प्रदर्श क–३ व छायाप्रति आरोपपत्र प्रदर्श क–४ को साबित किया गया है।

१०– अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये गवाह पी०डब्लू –१ ने पत्रावली में शामिल छायाप्रति आरोप पत्र, छायाप्रति तहरीर , छायाप्रति चिक एफ.आई.आर. व छायाप्रति गैंग चार्ट प्रदर्श क–१ लगायत प्रदर्श क–४ को साबित किया है। इस साक्षी द्वारा अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता से जिरह नहीं की गयी । मेरी राय में साक्षी पी०डब्लू–१ की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होती है।

११– अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति की याचना करते हुए कथन किया गया है कि वह अपना जुर्म स्वीकार करना चाहते है, उन्हें न्यूनतम दण्ड दिया जावे । न्यायालय के द्वारा उनसे यह कहा गया कि यदि वह जुर्म स्वीकार हेतु अपना कथन करते है तो वह उनके विरूद्ध समझा जायेगा।

उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त उपरोक्त अपराध में जिला कारागार में निरूद्ध है और वह स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करना चाहता है।

१२– अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया है कि अभियुक्त के विरूद्ध मामला साबित है। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये गवाह पी०डब्लू–१ ने अपने बयान में अभियोजन कथानक को साबित किया है तथा अभियोजन प्रपत्र प्रदर्श क–१ लगायत प्रदर्श क–४ को साबित किया है।

अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला साबित है।

१३– अभिलेख पर उपस्थित सभी साक्षी के अध्ययन, विश्लेषण से तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद यह तथ्य स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा जुर्म स्वीकार हेतु प्रार्थना की गयी है तथा अभियुक्तगण ने अपने बयान अन्तर्गत धारा ३१३ द०प्र०सं० में भी घटना को सत्य व सही कहा है तथा यह भी कथन किया है कि वह अपने परिवार के अकेले व्यक्ति भरण पोषण करने वाले है तथा उसकी और से पैरवी करने वाला कोई नहीं है और वह स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करते है।

१४– अभियुक्तगण राम कृपाल उर्फ कल्लू एवं बब्बू केवट के विरूद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा आयी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध मामला अन्तर्गत धारा २/३ उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम १९८६ युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित होता है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

१५– दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक–११.१२.२०१७ (मनराज सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

फास्ट ट्रैक, न्यायालय संख्या–१,

फतेहपुर ।

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु पेश हुयी।

दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित है। उनके द्वारा यह कहा गया है कि वह स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करते है, उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाये, क्यों कि उसका कोई बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं है। अन्य मुकदमों में दाखिल गैंग चार्ट को वह स्वीकार करते है। दण्ड के प्रश्न पर नर्म दृष्टिकोण अपनाया जाये। बितायी हवालात पर रिहा किया जाये।

अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला धारा २/३(१) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, १९८६ का साबित है। अतः अभियुक्तगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायाचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण राम कृपाल उर्फ कल्लू एवं बब्बू केवट को धारा २/३ उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम,१९८६ के अन्तर्गत दो–दो वर्ष के सश्रम कारावास व मु०५,०००–५,०००/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में एक–एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण धारा ४२८ दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ पाने का अधिकारी है। तदनुसार सजायाबी वारण्ट निर्मित कर दोषीगण को सजा भुगतने हेतु अधीक्षक जिला कारागार फतेहपुर को सुपुर्द किया जावे।

निर्णय की एक निःशुल्क प्रति दोषी को तत्काल उपलब्ध करायी जावे तथा एक निःशुल्क प्रति अधीक्षक जिला कारागार फतेहपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

दिनांक–११.१२.२०१७ (मनराज सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक, न्यायालय संख्या–१,
फतेहपुर ।

उक्त निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–११.१२.२०१७ (मनराज सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक, न्यायालय संख्या–१,
फतेहपुर ।